न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 48/2022 बउनवानी अब्दुल समद बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पुत्र श्री ईस्माईल, नि0 मयापुर जैतपुर, तहसील खण्डार हाल निवासी अंसारी मोहल्ला शहर,स0मा0

GCMS No-2022/92

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.6.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 3.3.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. स्व0 श्री ईस्माइल पुत्र इब्राहिम निवासी मयापुर जैतपुर तहसील खण्डार को दिनांक 6.7.1968 को जिला प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि साबिक ख0न0 15 ग्राम मयापुर जेतपुर मे कुल 5 बीघा भूमि आवंटन से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.1(23)सूकाअ/2022/422दिनांक16.6.2022से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक/रिकार्ड/राजस्व/22/18/दिनांक 7.4.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना 53 वर्ष पुरानी होने तथा तत्कालीन रिकार्ड कीपर सेवानिवृत हो जाने एवं सहायक कर्मचारी का देहान्त हो जाने के कारण संबंधित बस्ते मे उक्त रिकार्ड /आवंटन मिसल नही मिल रही है। आवंटन मिसल तलाश की जा रही है मिसल प्राप्त होने पर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवा दी जाने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 35 दिनांक 14.6.2022 सूचित किया जा चुका है। इसलिए वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.3.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार मे बरामद नही हो रहा है तथा रिकार्ड बरामद नही होने का कारण तत्कालीन रिकार्ड कीपर का सेवानिवृत हो जाना एवं तत्कालीन सहायक कर्मचारी का देहान्त हो जाना बताया गया है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार का यह कथन उचित नही है कि तत्कालीन रिकार्ड कीपर एवं सहायक कर्मचारी के नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। यदि ऐसी बात है तो वर्तमान रिकार्ड कीपर एवं सहायक कर्मचारी क्या कर रहे है। प्रभारी अधिकारी रिकार्ड अपीलान्ट को जानबूझकर सूचना [illegible] अतः प्रभारी अधिकारी रिकार्ड एवं लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर [illegible] किया जाता है कि वांछित सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध [illegible] जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर न[illegible]कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible] न्यायालय मे सुनवायी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:23:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर